21.09.2022	अधिवक्ता अपीलाण्ट उपस्थित। रेस्पोडेण्ट्स को न्यायालय समय में बार बार आवाज लगाने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुए। लिहाजा अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अधिवक्ता अपीलाण्ट की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने मौजा वालेरा के खसरा नम्बर 1432, 572, 573, 574, 575, 576, 577 कुल रकबा 15.030 हैक्टर के संबंध मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.12.2021 को अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया था। इसी दरमीयान तारीख पेशी 08.02.2022 को रेस्पोडेण्ट के हाजीर होने पर पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त कराने का निवेदन किया। जिस पर दोनो पक्षो की सुनवाई कर दिनांक 22.12.2021 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को यथावत रखा गया। तारीख पेशी 13.06.2022 को रेस्पोडेण्ट संख्या 12 द्वारा पूर्व में जारी स्थगन आदेश को आगे नही बढाने का निवेदन किया। मगर इसके पश्चात दिनांक 04.07.2022 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.12.2021 को पारित अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त कर दिया गया। वादग्रस्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट की संयुक्त खातेदारी की आराजी है, जिस पर अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट के मध्य तीस वर्ष पूर्व बंटवाडा हो चुका था। जिसके अनुसार अपीलाण्ट अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने द्वारा पारित जैर अपील आदेश जैर अपील आदेश की आड मे रेस्पोडेण्ट अपने हिस्से से अधिक आराजी को बेचान करने पर आमादा है एवं अपीलांट को उसके	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल करने पर उतारू है। अगर वह ऐसा करने में कामयाब हो जाते है तो इससे अपीलांट की अपील का मकसद समाप्त हो जायेगा, वाद बाहुल्यता बढेगी। अतः रेस्पोडेन्ट को वादग्रस्त आराजी पर मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत पाबंद किया जावे।

अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.12.2021 को प्रकरण में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर वादग्रस्त आराजी के रेकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.07.2022 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त कर प्रकरण की सुनवाई हेतु 26.7.2022 नियत की। जो विधिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 3(क) के अनुसार "जहां कोई व्यादेश विरोधी पक्षकार को सूचना दिये बिना दिया गया है। वहां न्यायालय आवेदन की ऐसी तारीख से जिसको व्यादेश दिया गया था, तीस दिन के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा और जहां वह ऐसा करने में असमर्थ है वहां वह ऐसी असमर्थता के लिए कारण अभिलिखित करेगा।" विचारण प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.12.2021 को एक पक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है, जिस पर उक्त विधि के प्रक्रिया अनुसार 30 दिवस की अवधि में अंतिम आदेश जारी किया जाना न्याय संगत था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.07.2022 को उक्त आदेश को अपास्त कर आगामी पेशी दिनांक 26.07.2022 दी गई। न्यायालय द्वारा इस प्रकार अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश में बार–बार परिवर्तन किया जाना न्यायसंगत व विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2022 को अपास्त किया जाता है। उभयपक्षकारान वादग्रस्त आराजी पर मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखेगें। सहायक कलेक्टर सायला को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 90/2021 अनवान मोडाराम बनाम आसकी देवी के सम्बध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 3(क) की पालना करते हुए उभयपक्षो को सुनकर 30 दिवस के भीतर निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर आवश्यक कार्यवाही हेतु नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली